न्यायालय सहायक कलक्टर, सिरोही

रा.वा.द अ.धारा 88, 188 RTAc

दुर्गा बनाम स्टेट व अन्य

प्र.क्र. 105/2015

26.6.11.2020

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी उ0/अ0 कृषि माथुर वकील वादी व्यक्तिगत मुकदमा न्यायालय में हाजिर होते हैं। बार-बार आवाज लगाने के बावजूद स्वयं वकील वादी न्यायालय समय पर हाजिर नहीं होने से वादी की हाजरी माफ करते हुए प्रतिवादी ने यह वाद अधीन 53 R.T. Act का खारिज किया जाता है। मूल्य सहित हिसाब किताब जमा करवाया जाकर मूल पत्रावली वैकल्पिक नम्बर से फाइल हो।

उपखण्ड अधिकारी सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:52:49 IST
Reason: SelfAttested